

राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: निदे / अ.ख.आ. नीलामी / नीलामी (ERCC XI) / 2018 / 1806

दिनांक: ७.०५.२०१८

नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिकारी / अधिक अधिकारी / डी.एम.एफ.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के टेके (क्र.स. 1 से 5, 14, 18 से 20, 30 पर वर्णित टेकों की अवधि सविदा निषादन की तिथि से 31.3.2019 तक एवं क.स. 6 से 13, 15 से 17, 21 से 29 पर वर्णित टेके की अवधि सविदा निषादन की तिथि से 31.3.2020 तक रहेगी) ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अकित कार्यक्रम के अनुसार बोली इलेक्ट्रोनिक लेटफार्म पर आमंत्रित की जाती है।

क्र.स.	टेके का क्रमांक	कार्यालय का कोड	नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के वसूल की जाने वाली राशि का विवरण	ठेके की आरक्षित राशि (रुपयों में)	बोली लगाने की अवधि जमा करने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	बोली लगाने हेतु अमानत राशि जमा करने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली का दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय
1	174	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना	जिला सीकर की तहसील नीमकाथाना की राजस्व सीमा में खनिज डोलोमाईट, क्यार्टज, फैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं केलसाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज डोलोमाईट, क्यार्टज, फैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं केलसाईट	ईआरसीसी	डोलोमाईट, क्यार्टज, फैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं केलसाईट	अधिक अधिक अधिकारी / डी.एम.एफ.टी.	39717600	16.05.2018	17.05.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
2	180	खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़	जिला चित्तौड़ की तहसील चित्तौड़ व गंगरार की राजस्व सीमा में खनिज चाईनाकले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सैण्ड व क्यार्टज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चाईनाकले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सैण्ड व क्यार्टज	ईआरसीसी	चाईनाकले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सैण्ड व क्यार्टज	अधिक अधिक अधिकारी / डी.एम.एफ.टी.	54524700	16.05.2018	17.05.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

3	182	सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेडा	जिला चित्तोड़ की तहसील बड़ीसादडी, निम्बाहेडा, भद्रसर व झुगाला की राजस्व सीमा में खनिज चाईनाकले, क्वार्टज, रेडऑकर व सिलिका सैण्ड के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चाईनाकले, क्वार्टज, रेडऑकर व सिलिका सैण्ड	ईआरसीसी निम्बाहेडा, भद्रसर व झुगाला की राजस्व सीमा में खनिज चाईनाकले, क्वार्टज, रेडऑकर व सिलिका सैण्ड के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चाईनाकले, क्वार्टज, रेडऑकर व सिलिका सैण्ड	चाईनाकले, क्वार्टज, रेडऑकर व सिलिका सैण्ड	अधिक ई.एम.एफ.टी.	अधिशुल्क एवं ई.एम.एफ.टी.	28738800	16.05.2018	17.05.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
4	158	खनि अभियन्ता, झुंझुनू	जिला झुंझुनू की तहसील खेतडी, बुहाना, उदयपुरखाटी व नवलगढ़ की राजस्व सीमा में खनिज सौपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफलाईट, फायर कले, केलसाईट, क्वार्टज, फैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सौपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफलाईट, फायर कले, केलसाईट, क्वार्टज, फैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट	ईआरसीसी उदयपुरखाटी व नवलगढ़ की राजस्व सीमा में खनिज सौपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफलाईट, फायर कले, केलसाईट, क्वार्टज, फैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सौपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफलाईट, फायर कले, केलसाईट, क्वार्टज, फैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट	सौपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफलाईट फायर कले, केलसाईट, क्वार्टज, फैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट	अधिक ई.एम.एफ.टी.	अधिशुल्क एवं ई.एम.एफ.टी.	6252800	16.05.2018	17.05.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
5	159	खनि अभियंता, सौजतसिटी	जिला पाली (तहसील रायपुर को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज चायनाकले, बॉल कले व अन्य कले, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फैल्सपार के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चायनाकले, बॉल कले व अन्य कले, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फैल्सपार	ईआरसीसी पाली (तहसील रायपुर को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज चायनाकले, बॉल कले व अन्य कले, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फैल्सपार के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चायनाकले, बॉल कले व अन्य कले, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फैल्सपार	चायनाकले, बॉल कले व अन्य कले, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फैल्सपार	अधिक ई.एम.एफ.टी.	अधिशुल्क एवं ई.एम.एफ.टी.	31017700	16.05.2018	17.05.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.

✓

6	38	खनि अभियन्ता जिला जयपुर की तहसील बरसी, सांगानेर इआरसीसी	चेजा पत्थर व गिट्टी, मारबल एवं व्हार्टजाइट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	61071600	16.05.2018	17.05.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.		
7	19	सहायक खनि अभियन्ता सावर	जिला अजमेर की तहसील के कड़ी की राजस्व सीमा में खनिज बुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज बुनाई पत्थर	इआरसीसी	बुनाई पत्थर अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	325900	16.05.2018	17.05.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.	
8	51	सहायक खनि अभियन्ता टॉक	जिला टॉक की तहसील उनियारा की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	इआरसीसी	चेजा पत्थर अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	300200	16.05.2018	17.05.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.	
9	50	सहायक खनि अभियन्ता टॉक	जिला टॉक की तहसील देवली व टोडारायसिंह की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	इआरसीसी	चेजा पत्थर अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	182000	16.05.2018	17.05.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.	
10	157	खनि अभियंता, दुंगरपुर	जिला दुंगरपुर की तहसील हुगरपुर, बिल्कीवाडा एवं सागवाडा की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	इआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	4413200	16.05.2018	17.05.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
11	224	सहायक खनि अभियन्ता, बांरा	जिला बांरा की तहसील बांरा, किशनगंज व शाहबाद की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	इआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	6311700	16.05.2018	17.05.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.

12	228	खनि अभियन्ता, बांसवाडा	जिला बासवाडा की तहसील बागीदोरा, घाटोल, कुशलगढ़, गांगड़तलाई एवं सज्जनगढ़ की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन एवं लाईमस्टोन (अप्रधान) के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन एवं लाईमस्टोन (अप्रधान)	ईआरसीसी स्टोन एवं लाईमस्टोन (अप्रधान)	मेसेनरी स्टोन स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	6589200 स्टोन एवं लाईमस्टोन (अप्रधान)	16.05.2018 स्टोन एवं लाईमस्टोन (अप्रधान)	17.05.2018 से 6.00 फी.एम. से 6.00 फी.एम.
13	230	खनि अभियन्ता, सोजतसिटी	जिला पाली की तहसील खोजत की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खारी लाईरेसों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	आरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	6138200 स्टोन एवं लाईरेसों	17.05.2018 स्टोन एवं लाईरेसों	18.05.2018 से 12.00 फी.एम. से 12.00 फी.एम.
14	166	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागौर की तहसील मेडता व स्थाबड़ी की राजस्व सीमा में खनिज चाईनावले के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चाईनाकले	ईआरसीसी	चाईनावले	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	52595900 चाईनावले	17.05.2018 चाईनावले	18.05.2018 से 12.00 फी.एम. से 12.00 फी.एम.
15	231	खनि अभियन्ता, चित्तोड़गढ़	जिला चित्तोड़गढ़ की तहसील चित्तोड़गढ़ के कावारी क्षेत्र सावा-नूय-सावा में खनिज लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी एवं गिट्टी) के प्रभावशील खारी लाईरेसों से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी एवं गिट्टी)	आरसीसी लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी एवं गिट्टी)	लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी एवं गिट्टी)	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	6961000 लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी एवं गिट्टी)	17.05.2018 लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी एवं गिट्टी)	18.05.2018 से 12.00 फी.एम. से 12.00 फी.एम.
16	232	सहायक खनि अभियन्ता, सवाईमध्यपुर	जिला सवाईमध्यपुर की तहसील बोली एवं चौथ का बरवाडा की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर व गिट्टी	ईआरसीसी	चेजा पत्थर व गिट्टी	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	4762900 चेजा पत्थर व गिट्टी	17.05.2018 चेजा पत्थर व गिट्टी	18.05.2018 से 12.00 फी.एम. से 12.00 फी.एम.

17	235	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बावडी की राजस्व सीमा में खनिज रायोलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रायोलाईट	ईआरसीसी रॉयलाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	7871000	17.05.2018	18.05.2018	01.00 फी.एम. से 03.00 फी.एम.
18	109	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	जैसलमेर जिले की राजस्व सीमा में खनिज बजरी के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज बजरी	ईआरसीसी बजरी	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	5498200	17.05.2018	18.05.2018	01.00 फी.एम. से 03.00 फी.एम.
19	212	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागोर की तहसील मेडता व रियाबड़ी की राजस्व सीमा में खनिज कवार्टज, फैल्सपार, पीली मिट्टी, केंओलिन, सिलिका सेण्ड के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज कवार्टज, फैल्सपार, पीली मिट्टी, केंओलिन, सिलिका सेण्ड	ईआरसीसी वर्हार्टज, फैल्सपार, पीली मिट्टी, केंओलिन, सिलिका सेण्ड	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	15571400	17.05.2018	18.05.2018	01.00 फी.एम. से 03.00 फी.एम.
20	213	खनि अभियन्ता, बाडमेर	जिला बाडमेर (तहसील सिवाना एवं समदड़ी को छोड़कर) की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम से अधिक अधिशुल्क व डी.एम.एफ.टी. वस्तुली तथा खातेदारी भूमि में नियम 52(3) के तहत जारी जिप्सम के परमिटों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर प्रीमियम अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. वस्तुली	ईआरसीसी एवं आर.सी.सी. (सेलेनाईट को छोड़कर)	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी. (खनन पट्टों से तथा अधिशुल्क, प्रीमियम एवं डी.एम.एफ.टी (परमिटों से)	33130200	17.05.2018	18.05.2018	01.00 फी.एम. से 03.00 फी.एम.
21	203	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील लूणी की राजस्व सीमा में खनिज रायोलाईट के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज रायोलाईट	ईआरसीसी रायोलाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	23754900	17.05.2018	18.05.2018	04.00 फी.एम. से 6.00 फी.एम.

✓

22	209	खनि अभियंता, बाडमेर	जिला बाडमेर की तहसील सरनू व आकल की राजस्व सीमा में खनिज मेरेनरी स्टोन के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मेरेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेरेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	5607500	17.05.2018	18.05.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
23	217	खनि अभियन्ता, बाडमेर	जिला बाडमेर की तहसील बायतु एवं सिंधरी के ग्राम सणका, खरपिट्या, गोदारों का सरा व क्रिसुलिया की राजस्व सीमा में खनिज मेरेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेरेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेरेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	1956200	17.05.2018	18.05.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
24	241	खनि अभियंता, भीलवाडा	जिला भीलवाडा की तहसील कोटडी एवं जहाजपुर की राजस्व सीमा में प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल, खण्डा एवं लफर	ईआरसीसी	मार्बल, खण्डा एवं लफर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	6230100	17.05.2018	18.05.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
25	98	खनि अभियन्ता, दुंगरपुर	जिला दुंगरपुर की तहसील दुंगरपुर व सागवाडा की राजस्व सीमा में खनिज पट्टी, कातला के प्रभावशील क्षारी लाइसेंसों से निर्गमित होने वाला खनिज पट्टी, कातला व मेरेनरी स्टोन (कोपरे)	आरसीसी	पट्टी, कातला व मेरेनरी स्टोन (कोपरे)	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	237000	18.05.2018	21.05.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
26	244	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा	जिला दौसा की तहसील सिकराय (राजस्व ग्राम राजपुरा, गिलारी को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पथर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पथर	ईआरसीसी	चेजा पथर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	28860300	18.05.2018	21.05.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

27	246	सहायक खनि	जिला चूक के क्षेत्र गोपालपुरा, बालेरा, अभियन्ता, चूक लोडसर एवं चाडवास की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिक ईएफ.टी.	118427700	18.05.2018	21.05.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
28	227	खनि	जिला उदयपुर की तहसील गिर्फा, बडगांव, अभियन्ता, उदयपुर मावली, भीण्डर एवं वल्लभनगर की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन एवं केशर गिर्फा	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन एवं केशर गिर्फा	अधिक अधिक ईएफ.टी.	91918638	08.06.2018	11.06.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
29	66	खनि	जिला अलवर की तहसील अलवर व रामगढ़ की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन (चुनाई पथर) के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाला खनिज मेसेनरी स्टोन (चुनाई पथर)	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन (चुनाई पथर)	अधिक अधिक ईएफ.टी.	206926852	08.06.2018	11.06.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
30	247	खनि	जिला उदयपुर की तहसील गिर्फा, बडगांव, वल्लभनगर, गोगुन्दा, मावली, भीण्डर, कोटड़ा, झाडेल व सराडा की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाईट, लाईमस्टोन, फिलाईट व शिष्ट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट, लाईमस्टोन, फिलाईट व शिष्ट	ईआरसीसी	ग्रेनाईट, लाईमस्टोन, फिलाईट व शिष्ट	अधिक अधिक ईएफ.टी.	10010000	08.06.2018	11.06.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

अ बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-

- 1 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही एमएसटीसी के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा एमएसटीसी के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।



- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की बेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ / 02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्प्लेक्स, टोक रोड, जयपुर है व फोन नं. 0141-2742208 है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के बहुत पंजीयनकर्ता के पास वेध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं चूनतम कलास-II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया बेबसाईट www.ajproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 पंजीयन हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे फैन कॉड, एडेस पुफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस.सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एडेस पुफ, रजिस्ट्रेशन फीस 10000/- व जी.एस.टी. जमा करने पर जारी यूटी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई-मेल आई.डी. पर भिजवाई जायेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा करते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई-मेल से भिजाने होंगे।

ब ई-नीलामी की प्रक्रिया

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन करने के उपरान्त नीलामी विज़िप्सि में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक अमानत राशि जमा करा देने पर ऑनलाइन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ठेके के लिए अलग-अलग अमानत राशि जमा कराये। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-निः-ठेके हेतु बोली लगायेगा, उस ठेके के अनुसार अमानत राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी।
- 2 अमानत राशि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफर्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम.पी.एस. जमा करनी होगी।
- 3 बोलीदाता द्वारा अमानत राशि जमा करने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्त एवं आर.एम.एस.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके स्थिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये है) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 5 आरक्षित राशि से कम की बोली स्थीकार नहीं की जायेगी। बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से अठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से अठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 10000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 6 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा, जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे बोलीदाता को भेजी जायेगी।
- 7 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में निम्न दस्तावेज सम्बन्धित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे:-
- i बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्टेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका / खनन पट्टा / क्वारी लाईसेंस धूत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो-इयूज प्रमाण पत्रों जो कि ई-नीलामी विज़िप्सि तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।

✓✓

- ii) विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ—पत्र— यदि बोलीदाता के नाम व उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईट इडेंट्रेस्ट में पूर्ण में या वर्तमान में कोई ठेका / खनन पट्टा / कारी लाईसेंस धूत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के राम्प पेपर की रक्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ.ब.स.द.ई संलग्न है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ—पत्र तैयार किया जावें।
1. यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करता है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक् पृथक् प्रारूप ब में तथा फर्म के पौरव औफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करता है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक् पृथक् प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्तिको प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करता है।
- प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।

- iii बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स औफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट औफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
- iv बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप बीड की प्रति।
- v आवेदक फर्म होने पर पौरव औफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्तिके बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
- vi PAN card / TIN की प्रति।
- vii एडेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड / ड्राईविंग लाईसेंस / मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।
- viii ईमेल एड्रेस एवं मोबाइल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।
- ix विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति (प्रस्तुत की गई बोली की वलास अनुसार)

नोट :-

- 1 समरत ठेकों में किसी भी व्यक्तिको द्वारा बोली में भाग लिया जा सकता है। परन्तु उच्चतम बोलीदाता को बोली समाप्ति तिथि के 15 दिन में विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 35 व 36 के प्रावधानों अनुसार पंजीयन प्रमाण पत्र उच्चतम बोली अनुसार निर्धारित वलास का प्रस्तुत करना होगा (न कि आरक्षित राशि के अनुसार)।


यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में दस्तावेज जमा नहीं करते जाते हैं, तो उसकी जमा अमानत राशि जस्त करते हुये आगमी पांच वर्षों हेतु ई—ऑक्सान में भग्न लेने से दिवार किया जायेगा।

- 2 रूपया 10 करोड़ से अधिक बिड राशि के ठेकों में ठेकेदार को खर्च पर तुलायंत्र रक्षाप्रत करना होगा जो ठेका समाप्ति के बाद विभाग को सुपुर्द करना होगा।

3 ई—ऑक्सान हेतु गाइडलाइन एवं ठेके की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 (जो संशोधित दिनांक 14.3.2018 को हुई है) में किया गया है।


- 4 यदि भविष्य में उक्त विज्ञापि के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in व इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म प्रदाता [www.mstcecommerce.com](http://mstcecommerce.com) पर दी जायेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जायेगा।


Dr. R.S. Malik


Hima Chauhan
निदेशक (खान)

प्रतिलिपि :-

- 1— श्री दिनेश कुमार मील, Dy. Manager, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञिति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
 - 2— नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञिति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
 - 3— नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
 - 4— निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्चा करने हेतु :-
- अ— अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।
- ब— अधीक्षण खनि अभियंता— उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।
- स— खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करोली/धौलपुर/अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बृन्दी-१/२/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/नागौर/सोजत/उदयपुर/राजसमन्द-१/पा/आमेर/भीलवाडा/चित्तोडगढ़/प्रतापगढ़/बिजोलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगगानगर/दुणरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर।
- द—सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/सलूम्बर/ऋषमदेव/निम्बाहडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दोसा/रूपवास/हनुमानगढ़/चुरु/नीमकगढ़ाना/सावर


 (ओ.पी.) काक्षसे
 अधीक्षण खनि अभियन्ता (नी.प्र.)